

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17112021-231207
SG-DL-E-17112021-231207

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 249
No. 332]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943	[N. C. T. D. No. 249

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

संख्या 5/2021-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(108)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस- I/308.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (एतश्मिन प्रश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले राज्य कर से उस सीमा तक छूट देती है जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो :

सारणी

क्र.सं. (1)	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद (2)	वस्तु का विवरण (3)	दर (4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	2.5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	2.5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	2.5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	2.5%
7	3002 या 3822	इनफलोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स , जैसे कि दृ आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	2.5%
8	3808 94	हैंड सेनेटाइजर	2.5%
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	2.5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटीोरियम में प्रयोग के लिए गैस/इलैक्ट्रिक/अन्य प्रकार की भट्टियां	2.5%
11	9018 19 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	2.5%
12	9018	हाई फ्लो नेस्ल कैनूला डिवाइस	2.5%
13	9019 20, 9804	ऑक्सीजन कंसंटेरेटर/जनरेटर	2.5%
14	9018 या 9019	वेंटिलेटर	2.5%
15	9019	बाई पीएपी मशीन	2.5%
16	9019	(i) नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए (ii) केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए	2.5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	6%

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव- I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 16th November, 2021

No. 5/2021– State Tax (Rate)

No. F. 3(108)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/308.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the State tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the Table aforesaid:

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	Medical Grade Oxygen	2.5%
2	30	Tocilizumab	Nil
3	30	Amphotericin B	Nil
4	30	Remdesvir	2.5%
5	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
6	3002 or 3822	Covid-19 testing kits	2.5%
7	3002 or 3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely- IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.	2.5%
8	3808 94	Hand Sanitizer	2.5%
9	6506 99 00	Helmets for use with non-invasive ventilation	2.5%
10	8417 or 8514	Gas/Electric/other furnaces for crematorium	2.5%
11	9018 19 or 9804	Pulse Oximeter	2.5%
12	9018	High flow nasal canula device	2.5%
13	9019 20 or 9804	Oxygen Concentrator/ generator	2.5%
14	9018 or 9019	Ventilators	2.5%
15	9019	BiPAP Machine	2.5%
16	9019	Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU ventilators	2.5%
17	9025	Temperature check equipment	2.5%
18	8702 or 8703	Ambulance	6%

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)